# 20

## सूचना प्रौद्योगिकी प्रयास/ई-गवर्नेन्स

20.1 मंत्रालय में कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेन्स कार्यान्वित कराने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। स्कीम के लिए निम्नलिखित उद्देश्य पहचाने गए हैं:

(क) मंत्रालय में विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमाने ढांचे को सुदृढ़ और अद्यतन करना ।

(ख) मंत्रालय (मु.स.) के प्रभागों/अनुभागों को कवर करने (लगभग 350 - नोड) के लिए एथरनेट लेन का सृजन ।

(ग) कम्प्यूटर को स्टेट-ऑफ-आर्ट प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए सर्वर और साफ्टवेयर प्राप्त करना ।

(घ) नेटवर्क को चलाने व इसके प्रबंधन तथा डाटाबेस सृजन व प्रबंधन के लिए साफ्टवेयर प्राप्त करना ।

(ङ) क्लाइंट्स बनाना और साफ्टवेयर का प्रयोग करने वालों के लिए इन्हें पारदर्शी बनाना ।

(च) यूजर्स के तकनीकी कौशल का स्तर बढ़ाना ।

(छ) सार्वजनिक क्षेत्र में यथासंभव सूचना उपलब्ध कराने के लिए कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना।

(ज) मंत्रालय के विषयों पर व्यापक डाटाबेस तैयार करना । इन डाटाबेसों को दिल्ली से बाहर स्थित सभी क्षेत्रीय केन्द्रों और अधिकारियों के लिए प्रत्येक दिन हर समय उपलब्ध कराना ।

(झ) विभिन्न कार्यालयों के कार्यकलापों को संचार माध्यमों से आपस में जोड़ना ताकि आपस में सहयोग प्रक्रिया का निर्माण हो सके और अधिक प्रभावी व समय से निर्णय लेने में मदद मिल सके।

( ´) मंत्रालय के अधिकारियों को रोजमर्रा के और बार-बार किए जाने वाले कार्यों से मुक्त कराना ताकि उनकी उपयोगिता और प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके।

(ट) सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली को विकसित करना ताकि जनता द्वारा कार्यालयों में बार-बार आने की जरूरत समाप्त हो जाए ।

(ठ) नेट पर विभिन्न प्रपत्रों और सूचना उपलब्ध कराना और प्रत्येक समय दूर-दराज के क्षेत्रों से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराना ।

(ड) ई-गवर्नेन्स के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वेब-समर्थित अनुप्रयोग का विकास करना।

20.2 इस स्कीम के लिए 10वीं योजना में 800 लाख रुपये के परिव्यय की आशा है । यह आबंटन सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन पर व्यय के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार मंत्रालय की निधि के 2 से 3 प्रतिशत के भीतर ही सीमित रहेगा ।

20.3 सूचना प्रौद्योगिकी स्कीम मंत्रालय के दिल्ली स्थित कार्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है । 10वीं योजना में इसे दिल्ली स्थित अधीनस्थ व सम्बद्ध कार्यालयों में तथा दिल्ली से बाहर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में विस्तारित किया जाएगा । विस्तारित आई टी स्कीम को दसवीं योजना के दौरान दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों में विस्तारित किया जाएगा । इसके लिए वेब-समर्थित अनुप्रयोग विकसित करना होगा । इससे विदेशों में कार्यरत/सम्मेलनों पर नियुक्त मंत्रालय के अधिकारी इंटरनेट समर्थित लेपटॉप से सूचना प्राप्त करके प्रभावी हस्तक्षेप करने में भी सक्षम हो सकेंगे।

20.4 स्कीम की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी अपर श्रम सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय आई टी कमेटी द्वारा की जा रही है । प्लान स्कीम की योजना, निर्माण, निष्पादन और समीक्षा में सहयोग और प्रबंधन के लिए आई. टी प्रबंधक हैं । संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली

तथा सदस्य के रूप में आई टी प्रबंधक, निदेशक (आई एफ डी), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के प्रतिनिधित्व वाली एक परियोजना समीक्षा उप समिति आवधिक रूप से समीक्षा करेगी, संसाधनों के आबंटन की निगरानी करेगी, समस्या क्षेत्रों की पहचान करेगी और उपचारात्मक/वैकल्पिक कार्रवाई योज-ना की सलाह देगी ताकि अनुप्रयोग साफ्टवेयर मॉड्यूल का लक्ष्य के अ-नुसार विकास और कार्यान्वयन किया जा सके । यह, यह भी सुनिश्चित करेगी कि मंत्रालय, इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ/क्षेत्रीय/सह-कार्यालयों/संगठनों में अनुप्रयोग मॉड्यूलों के विकास में मानकों और उपकरणों की एकरूपता बनी रहे ताकि डेटाबेस को श्रम शक्ति भवन स्थित डेटाबेस के द्वारा समाकलित किया जा सके ।

- आंकड़ों/दस्तावेजों के अभिलेख की परियोजना श्रम से संबंधित मुद्दों पर संदर्भ डेटाबेस सृजित करने के लिए शुरु की जाएगी।
- विभिन्न स्थानों पर अब तक स्वतंत्र रूप से विकसित किए गए साफ्टवेयरों में संशोधन किया जाएगा ताकि उनका एक साझा प्रणाली के अंतर्गत उपयोग हेतु समन्वयन किया जा सके । इस कार्य को सहज बनाने के लिए श्रम शक्ति भवन स्थित रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालयों के प्रतिष्ठानों को आई. टी. प्लान स्कीम स्थापित लैन के दायरे में लाया गया है । हार्डवेयर और प्रशिक्षण के संबंध में इन संगठनों की जरूरतों को उनकी अपनी पृथक योजना के अंतर्गत पूरा किया जाएगा किन्तु यह योजना श्रम शक्ति भवन में अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं तथा नेटवर्किंग जरूरतों को पूरा करेगी । आई. टी. स्कीम वेतन और लेखा कार्यालय की हार्डवेयर जरूरतों को भी पूरा करेगी। उनके प्रतिष्ठान को लैन में शामिल कर लिया गया है ।
- प्रयोक्ता विशिष्ट अनुप्रयोग हेतु सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे। वे सभी वेब-समर्थित होंगे ताकि आंकड़े प्राप्त करने और जोड़ने के लिए दूरस्थ स्थानों से उनका प्रयोग किया जा सके।

- हाई-एंड डाटाबेस सर्वर से आंकड़े को बनाए जाते समय ही प्राप्त किया जा सकेगा और उसे मंत्रालय के एकीकृत डेटा बेस के साथ समन्वित किया सकेगा । इससे अद्यतन डेटाबेस 24 घंटे प्राप्त हो सकेंगे । भविष्य के संदर्भ और तात्कालिक संदर्भ के लिए दस्तावेजों को (एच टी एम एल) प्रपत्र में पूर्व निर्धारित की-वर्ड के साथ रख दिया जाएगा जैसे बाल श्रम, बंधुआ श्रम आदि और जब कभी सरकारी कार्य यानि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलनों में अंत:क्षेप के लिए तत्काल किसी पुराने संदर्भ की जरूरत हो तो सर्च-इंजन के माध्मय से उसे तत्काल प्राप्त किया जा सकेगा।

## राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की भूमिका

20.5 लैन के दैनिक प्रबंधन/उपलब्धता/सुरक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी ) की होगी। अनुप्रयोग साफ्टवेयर मॉड्यूल के प्राथमिक विकास का कार्य भी एन आई सी द्वारा किया जाएगा । इस समय राष्ट्रीय सूचना केन्द्र क्षेत्रीय कार्यालयों/मुख्यालयों के लिए निम्नलिखित अ-नुप्रयोग साफ्टवेयर पैकेज के डिजाइन, विकास, क्रियान्वयन आदि में सहयोग कर रहा है:

(i) भविष्य निधि अंशदाता लेखा रख-रखाव (सी ए पी एस/सी ए एम पी एस/सी ए एम पी एस 95) कंप्यूटरीकृत रसीद लेखा पद्धति (सी आर ए एस संस्करण 2.0.1)

(ii) कंप्यूटरीकृत भुगतान लेखा पद्धति (सी पी ए एस संस्करण 1.0)

(iii) कंप्यूटरीकृत कर्मचारी पैंशन पद्धति (सी ई पी एस)

(iv) उत्प्रवास संरक्षी

****